IPU की 146वीं सभा के दौरान "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना: असहिष्णुता के विरुद्ध संघर्ष" विषय पर माननीय अध्यक्ष का सम्बोधन

माननीय सभापति और विशिष्ट प्रतिनिधिगण:

मैं **IPU** की **146**वीं (एक सौ छियालीसवीं) सभा में पधारे सभी माननीय प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

आज हम **IPU** में "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने तथा असहिष्णुता के विरुद्ध संघर्ष" विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यंत सामयिक, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, मैं इस विषय पर अपने विचार रख रहा हूँ।

माननीय प्रतिनिधिगण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील लोकतंत्र है। पूरी दुनिया में 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रुप में आज भारत की पहचान है। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र की हमारी परंपरा रही है। यह हमारी जीवन पद्धति है।

भारत एक समृद्ध बहुरंगी संस्कृति वाला देश है। यह दुनिया का सबसे विशालतम संविधान वाला देश है। हमारा संविधान स्वतंत्रता, समता, बंधुता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह सद्भावना, सहिष्णुता, बहुसंस्कृति और सभी धर्मों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल्यों पर आधारित है। हमारा देश अनेक धर्मों की जन्मस्थली रहा है। हमारे देश में हजारों वर्षों से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग शांतिपूर्ण तरीके से साथ मिलकर रहते आए हैं।

विशिष्ट प्रतिनिधिगण, हमारे देश की संस्कृति 'वसुधैव कुटुम्बकम' के मूल्यों पर आधारित है। हमारा मानना है कि सम्पूर्ण विश्व का कल्याण हो। सबका शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो। हमारा समाज सहिष्णु और समावेशी समाज बने। यही भावना हमारे संविधान में भी निहित है।

हमारा संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी धर्मों और पंथों को अपने अपने विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

हमें अपनी इस विविधतापूर्ण संस्कृति और समृद्ध विरासत पर गर्व है। सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता और बहुदलीय विचारधारा हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

विशिष्ट प्रतिनिधिगण, पिछले 75 वर्षों में हमारे देश में लोकतंत्र निरंतर सशक्त हुआ है। हमारे यहाँ अब तक हुए चुनावों में मतदान का लगातार बढ़ता प्रतिशत यह दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ा है।

माननीय प्रतिनिधिगण, भारत में सहभागी लोकतंत्र है और हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारी संसद में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है। सभी प्रतिनिधियों को लोक सभा में अपने मत एवं विचारों को रखने की आजादी है।

माननीय प्रतिनिधिगण,75 वर्षों की लोकतंत्र में हमारी संसद ने लोगों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास "की भावना से काम कर रहे हैं। हमने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में पूरी निष्ठा और तत्परता से काम किया है। इस उद्देश्य से हमारी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, युवाओं और महिलाओं सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और कौशल विकास की विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। देश के पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिला बनाकर उसे विकसित जिले के समकक्ष लाने के प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। यह हमारे जन-केंद्रित शासन और एक समतामूलक समाज के निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विशिष्ट प्रतिनिधिगण, बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि सभी वैश्विक विषयों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा किया जाना चाहिए। हमारी संसद ने भी सामूहिकता के साथ विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, सतत विकास लक्ष्य और कोविड महामारी जैसे सभी महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर व्यापक और सकारात्मक चर्चा की है।

सभापति महोदय, एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण उसी दशा में संभव है जब हमारी वैश्विक संस्थाएं समानता और न्याय पर आधारित हों। यूएन सुरक्षा परिषद जैसी वैश्विक संस्थाओं में नई परिस्थितियों के अनुसार सुधार लाने की आवश्यकता पर देशों के बीच व्यापक सहमति है। हमारा मानना है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर गंभीर बातचीत को ईमानदारी से आगे बढ़ाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की प्रक्रिया को हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। इसलिए यह हमारे किसी भी भावी वैश्विक एजेंडा का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

इसी दशा में हम जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, गरीबी, लैंगिक समानता, आतंकवाद जैसे वैश्विक विषयों का प्रभावी समाधान दे सकते हैं।

माननीय चेयरपर्सन, आज भारत अपनी वैश्विक दायित्वों को पूरा करने के लिए बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कोविड-19 महामारी में हमने अपने नागरिकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया और साथ ही वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य जरुरतमन्द देशों को वैक्सीन एवं अन्य चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध कराये। इसी प्रकार, हम जलवायु परिवर्तन विषय पर वैश्विक कार्य योजना में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

हमारा मानना है कि समावेशी विकास से ही समाज में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है। सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को दूर करके ही हम लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बढ़ा सकते है।

माननीय प्रतिनिधिगण, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण विश्व के लिए स्थायी शांति और सौहार्द ही भारत का शाश्वत संदेश है। हमारा विश्वास है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और परस्पर चर्चा संवाद के लोकतान्त्रिक तरीके से ही समावेशी एवं सहिष्णु समाज का निर्माण संभव है। इस कार्य में हमारी संसदों की निर्णायक भूमिका है।

आइए, हम सब मिलकर सामूहिकता की भावना से मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।